केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

क्षेत्रीय कार्यालय: अलीगढ़

(अचल सम्पत्ति का कब्जा नोटिस)

यद्यपि, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने निम्नलिखित बकायेदार ऋणियों एवं गारन्टरों को नोटिस में वर्णित राशि, नोटिस प्राप्ति के 60 (साठ) दिनों के अन्दर अदा करने हेतु मांग नोटिस जारी की थी। ऋणीयों एवं गारन्टरों के द्वारा इस राशि को अदायगी में विफल रहने पर एतद्द्वारा आम जनता को एवं ऋणी व गारन्टर को विशेष रूप से सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित सम्पत्तियों का आधिपत्य उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) एवं नियमों के उपनियम 8 एवं 9 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित सम्पत्तियों का कब्जा उनके सम्मुख अंकित तिथि को कर लिया गया है। ऋणी का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है। एतद्द्वारा ऋणी/गारंटर को विशेषतः और जन साधारण को सामान्यतः सूचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्तियों का अधिग्रहण कर लिया गया है। अतः इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई भी सौदा/व्यवहार बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी से न करें एवं ऐसा कोई भी सौदा/व्यवहार केनरा बैंक को देय राशि व तत्सम्बन्धित ब्याज व अन्य व्यय आदि हेतु जैसा कि नीचे खाते के सम्मुख उल्लिखित किया गया है के अध्याधीन होगा। अधिनियम के नियम 13 के उप नियम (8) के प्रावधान की ओर ऋणी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि वह उपलब्ध समय में अपनी सम्पत्ति को छुड़ा लें।

ऋणी/गारंटर का नाम	अचल सम्पत्तियों का विवरण	दि. मांग नोटिस	दि. कब्जा नोटिस	बकाया राशि (रू)
शाखा: बिजौली, अलीगढ़				
ऋणी- कमर जहां पत्नी खली खान, पता- मकान नं. 68 जमालपुर माफी रेडियो कॉलोनी के सामने कोल-अलीगढ़, सह-ऋणी- खालिद खान पुत्र वाहिद खान, पता- रेडियो कॉलोनी, के सामने जमालपुर कोल, अलीगढ़	आवासीय मकान संपत्ति नं. 4/19-के, खसरा नं. 477 का भाग, गली नंबर 7 में मुस्कान स्कूल के पास टिकाना मार्केट मौलाना आज़ाद नार मौज़ा रामगढ़ पंजूपुर परगना एवं तहसील कोल ज़िला अलीगढ़, एरिया: 50.16 वर्ग मीटर, संपत्ति श्रीमती कमर जहाँ पत्नी खालिद खान के नाम पर, चौहद्दी: पूर्व- दिलशाद का निर्माणाधीन मकान, पश्चिम- श्री आरिफ़ का मकान, उत्तर- अन्य मकान, दक्षिण- गली नंबर 7'12 चौड़ी	15-06-2026	15-09-2026	6,90,739.23 + ब्याज व अन्य खर्चे

दिनांक : 19.09.2026 **प्राधिकृत अधिकारी**

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

केनरा बैंक
डब्ल्यूजैड-112ए, मीनाक्षी गार्डन,
तिलक नगर, नई दिल्ली-110027

लॉकर तोड़कर खोलने के संबंध में सार्वजनिक सूचना

सभी संबंधित व्यक्तियों और आम जनता को यह सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि इस सूचना के तहत नामित व्यक्तियों ने केनरा बैंक की नीचे वर्णित शाखाओं (ई–सिंडीकेट बैंक की शाखाओं सहित) में सेफ डिपॉजिट लॉकर्स की सुविधा का लाभ उठाया है। संबंधित शाखाओं ने लॉकर किराएदारों/एलओए को हमारे बैंक रिकॉर्ड के अनुसार नवीनतम उपलब्ध पते पर पंजीकृत पावती देय (एडी) डाक द्वारा व्यक्तिगत पत्र/नोटिस पहले ही भेज दिए हैं, जिसम. लॉकर किराए का बकाया चुकाने का अनुरोध किया गया है। इन नोटिसों के बावजूद, लॉकर किराएदारों/एलओए ने शाखा से संपर्क नहीं किया है और लॉकर किराए का बकाया नहीं चुकाया है।

नीचे नामित लॉकर किराएदारों और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों से अनुरोध है कि वे इसे अंतिम नोटिस मानें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित शाखा से संपर्क करें और इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर लॉकर किराए का बकाया जमा करें। ऐसा नहीं करने पर, बैंक कोई अतिरिक्त नोटिस या सूचना दिए बिना, एकमात्र किराएदारों या उनके कानूनी प्रतिनिधियों/उत्तराधिकारियों की लागत और जोखिम पर, लॉकर तोड़ कर खोलेगा।

क्र. सं.	लॉकर नंबर	किराएदार का नाम	बैंक रेकार्ड्स के अनुसार पता	बकाया राशि
01	340	कश्मीरी लाल	59/16, अशोक नगर, तिलक नगर, दिल्ली–110018	17,110/–
02	388	सुरजीत कुमार चोपड़ा	42/22, अशोक नगर, तिलक नगर, दिल्ली–110018	17,110/–
03	279	श्री अनिल कोहली	के–1478, ब्लॉक–गे, पालम विहार चोमा 62, कार्टरपुरी, गुरूग्राम–122017	59,326.95

प्रबंधक, केनरा बैंक, तिलक नगर शाखा

प्ररूप संख्या यूआरसी–2

अधिनियम के अध्याय XXI के भाग 1 के तहत पंजीकरण के संबंध में सूचना का विज्ञापन
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(ख) और कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4 (1) के अनुसरण में)

1. सूचना दी जाती है की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप धारा (2) के अनुसरण में **रजिस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान, (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6, 7, 8, सैक्टर-5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड- 122050** को एक आवेदन पंद्रह दिनों के बाद, लेकिन तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पहले प्रस्तावित है, की **"मैसर्स ग्लोबल हाइट्स 81"** एक साझेदारी फर्म को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग 1 के अधीन शेयरों द्वारा सीमित एक निजी कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।
2. **कंपनी के मूल उद्देश्य इस प्रकार है:**
डेवलपर्स, बिल्डरों, प्रमोटरों, उपनिवेशवादियों और संपत्ति प्रबंधकों के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए; खरीद, पट्टे, विनिमय, या अन्यथा, किसी भी भूमि, भूखंडों, भवनों, या किसी भी कार्यकाल या विवरण की अचल संपत्तियों की खरीद, पट्टे, विनिमय, या अधिग्रहण के माध्यम से अधिग्रहण करने के लिए; और टाउनशिप, स्मार्ट शहरों, आवासीय परिसरों, वाणिज्यिक केंद्रों, आईटी पार्कों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड), शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, औद्योगिक सम्पदा और गोदामों में विकास, उपनिवेश, लेआउट, लेआउट, विभाजन, या अन्यथा सुधार करने के लिए। इसके अलावा, पूर्ण या आंशिक इकाइयों, कार्यालयों, फ्लैटों या रिक्त स्थान को बेचने, पट्टे पर देने, उप-पट्टे देने, किराए पर लेने, या अन्यथा निपटाने के लिए, और रियल एस्टेट सलाहकारों, सलाहकारों और दलालों के रूप में कार्य करने के लिए।
3. प्रस्तावित कंपनी के प्रारूप संगम और अनुच्छेद ज्ञापन की प्रतिलिपि का निरीक्षण **पी-903-905, विंग सी, 9वीं मंजिल, जेएमडी मेगा पोलिस, सैक्टर-48, गुरुग्राम, हरियाणा-122018.** स्थित पंजीकृत कार्यालय में किया जा सकता है।
4. सूचना दी जाती है की यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन पर आपत्ति है तो वह लिखित में अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन के इक्कीस दिन के भीतर **रजिस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान, (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6, 7, 8, सैक्टर-5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड- 122050,** पर भेज दें तथा इसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी भेज दें।

ग्लोबल हाइट्स 81 के लिए और उसकी ओर से
हस्ता/–
1. जितेंद्र जाँघू (भागीदार)
2. अजय गोयल (भागीदार)

तिथि : 19.09.2026
स्थान : गुरुग्राम

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
.... भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा सर्किल ऑफिस आगरा: 1-2, रघुनाथ नगर, महात्मा गांधी मार्ग, आगरा ईमेल–cs8182@pnb.co.in

परिशिष्ट–IV [सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) नियम, 2002 का नियम 8(1)]
भौतिक कब्जा सूचना

जबकि,

अधोहस्ताक्षरी पंजाब नेशनल बैंक के अधिकृत अधिकारी होते हुए, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन, नियम–2002 की धारा 13(12) के नियम 3 के साथ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 10.03.2026 को मांग नोटिस जारी कर **ऋणकर्ताओं / गारंटरों / बंधककर्ताओं श्री कपिल गुरबानी और श्री हिरेन गुरबानी दोनों पुत्र श्री ओम प्रकाश गुरबानी** को नोटिस में उल्लिखित राशि रु. **6,09,43,731.07/- (छः करोड़ नौ लाख तैंतालीस हजार सात सौ इकतीस रुपये और केवल सात पैसे)** + ब्याज व अन्य खर्चे जोकि दिनांक 28.02.2026 से यदि कोई वसूली हुई हो तो घटायें, नोटिस की तिथि / उक्त नोटिस की प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने का आह्वान करता हूं। ऋणकर्ताओं / गारंटरों / बंधककर्ताओं द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, ऋणकर्ताओं / गारंटरों / गिरवीदारों और आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ नियम 8 के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक **13.09.2026** को नीचे वर्णित संपत्ति पर **भौतिक कब्जा** कर लिया है।

उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित है।

ऋणकर्ताओं / गारंटरों / बंधककर्ताओं और आम जनता को विशेष रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन न करें। संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन–देन पंजाब नेशनल बैंक के प्रभार के अधीन होगा, जिसकी राशि **रु. 6,09,43,731.07/- (छः करोड़ नौ लाख तैंतालीस हजार सात सौ इकतीस रुपये और केवल सात पैसे) +** ब्याज व अन्य खर्चे जोकि दिनांक 28.02.2026 से यदि कोई वसूली हुई हो तो घटाय।

बंधक अचल संपत्ति का विवरण

साम्यिक बंधक सम्पत्ति के सभी खण्ड एवं भाग फ्लैट नम्बर सी–1902 का कारपेट एरिया मापने योग्य 3156 वर्ग फुट जोकि 293.31 वर्ग मीटर और संबंधित सुपर बिल्ड मापने योग्य एरिया 5470 वर्ग फुट जोकि 508.36 वर्ग मीटर, 19वीं तल, ब्लॉक नम्बर–सी, योजना में अविभाजित भूमि हिस्सेदारी के साथ–साथ इसे "इस्कान प्लेटिनम" रूप में भी जाना जाता है। निर्मित जमीन सर्वे नम्बर–298/ए, 298/बी, 299, 307, 308पी, 302, 458, 459, 301/ए, 457/बी और 482/ए अंतिम प्लॉट नम्बर 28 पैकी + 31.28 पैकी और 155, 30, 154/2, 173/2 टाउन प्लानिंग योजना नम्बर 03 के साथ सिम ग्राम मौजा भोपाल, तालुका घाटलोडिया जिला अहमदाबाद और सब–जिला अहमदाबाद–9 (बोपल) में पंजीकृत है।

सम्पत्ति स्वामी के नाम श्री कपिल गुरबानी एवं श्री हिरेन गुरबानी दोनों पुत्र श्री ओम प्रकाश गुरबानी।

चौहद्दी निम्न के अनुसार:– पूर्व– हाईवे रोड, पश्चिम–ब्लॉक नम्बर 306, 308, 308/ए एवं कालिन्दी सोसायटी, उत्तर–ब्लॉक नम्बर 297, दक्षिण–ब्लॉक नम्बर 301/बी एवं 303।

स्थान– आगरा, दिनांक–13.09.2026 **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली उत्तरी, दूसरी मंजिल, फैज रोड-1, नई दिल्ली-110005,
दूरभाष नं. : 011-43010326
ई-मेल: law.rodelhinorth@unionbankofindia.bank.in
cmcrldrodelhinorth@unionbankofindia.bank.in

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6)/9(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा सामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक एवं प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका कब्जा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (प्रतिभूत लेनदार) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया गया था, नीचे वर्णित कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित बकायों की वसूली के लिए उसकी बिक्री **"जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ है वही है"** आधार पर ऊपर वर्णित तिथि पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि भी नीचे लिखे के अनुसार हैं :

क्र. सं.	कर्जदार/बंधककर्ता तथा जमानती का नाम एवं पता	सम्पत्ति का विवरण	कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य ईएमडी बोली वृद्धि	मांग सूचना की तिथि बकाया राशि
	कबीर नगर शाखा, सी-5, उत्तरी छज्जूपुर, 100 फुट रोड, शाहदरा, दिल्ली-110094. ई-मेल: ubin0920771@unionbankofindia.bank.in, मोबाइल नं.: 8779332446				
1.	मैसर्स न्यू गोयल एंटरप्राइजेज, प्रोपराइटर श्री मनीष गोयल के माध्यम से, मकान नंबरः डी-23 गोकलपुरी दिल्ली - 110094; साथ हीः ए-559, गोकलपुरी दिल्ली 110094 • 1/10426, दूसरी मंजिल, मोहन पार्क नवीन शाहदरा दिल्ली 110032 2. गारंटरः 2(ए) श्री राधे श्याम गोयल, मकान नंबर 4385, आर्य पुरा सब्जी मंडी दिल्ली 110007 2(बी) दर्शन कुमार गोयल, मकान नंबर ए 42 मेन मार्केट गोकलपुरी दिल्ली 110094 2(सी) श्री हरि शंकर गोयल, मकान नंबर ए 42 मेन मार्केट गोकलपुरी दिल्ली 110094	आर्य पुरा, सब्जी मंडी, दिल्ली 110007 में स्थित 125 वर्ग गज की आवासीय सम्पत्ति नंबर 4385 का वह हिस्सा, जो श्री दर्शन कुमार गोयल, श्री मनीष गोयल, श्री हरि शंकर गोयल और श्री राधे श्याम गोयल के नाम पर है। सीमाएंः उत्तर-पश्चिम में एंट्री/गली, दक्षिण-पूर्व में दूसरी सम्पत्ति, उत्तर-पूर्व में दूसरी सम्पत्ति, दक्षिण-पश्चिम में दूसरी सम्पत्ति।	रचनात्मक	रु. 83,30,000/– रु. 8,33,000/– रु. 85,000/–	रु. 1,55,45,578.44 तथा उस पर ब्याज एवं प्रभार 20.01.2026
		प्लॉट नंबर 42, मेन डीडीए मार्केट एलएससी, गोकलपुरी, शाहदरा, दिल्ली 110094 में स्थित कमर्शियल दुकान का वह हिस्सा, जिसका क्षेत्रफल 41.80 वर्ग मीटर है और जो श्री मनीष गोयल और राधे श्याम गोयल के नाम पर है। सीमाएंः उत्तर में एंट्री/गली, दक्षिण में सड़क/मस्जिद, पूर्व में सम्पत्ति नंबर 43, पश्चिम में खुली जमीन।	रचनात्मक	रु.1,04,55,000/– रु. 10,45,500/– रु. 1,05,000/–	रु. 1,55,45,578 तथा उस पर ब्याज एवं प्रभार
	शाखाः सेक्टर 22 रोहिणी, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, दिल्ली-110086 ईमेल- ubin0560421@unionbankofindia.bank.in, संपर्क 9560523214				
2.	मेसर्स स्टेलिनो शूज एंड अपैरल्स, प्रोप. श्री आकाश रंजन गुप्ता, आरटीबी 118 लोअर ग्राउंड फ्लोर रॉयल टॉवर शिप्रा सन सिटी इंदिरापुरम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201014 साथ हीः 6181/3 ब्लॉक नंबर 1 देव नगर करोल बाग दिल्ली 110005 श्री आकाश रंजन गुप्ता, ई 188 सेक्टर 36 नोएडा सेक्टर 37 गौतमबुद्धनगर नोएडा उ.प्र. 201303 जमानतीः मंजू गुप्ता, ई 188 सेक्टर 36 नोएडा सेक्टर 37 गौतमबुद्धनगर नोएडा उ.प्र. 201303 साथ हीः न्याय खंड III/249, ग्राउंड फ्लोर इंदिरापुरम जीडीए कॉलोनी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201014 • आरटीबी 118 लोअर ग्राउंड फ्लोर रॉयल टॉवर शिप्रा सन सिटी इंदिरापुरम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201014	संपत्ति का समस्त भाग आरटीबी 118 लोअर ग्राउंड फ्लोर रॉयल टॉवर शिप्रा सन सिटी इंदिरापुरम गाजियाबाद उ.प्र. पर दुकान, माप 9.50 वर्ग मीटर, श्रीमती मंजू गुप्ता के स्वामित्व में सीमाएँ उत्तरः– दुकान नंबर आरटीबी 116, दक्षिणः– दुकान नंबर आरटीबी 120 पूर्वः– दुकान नंबर आरटीबी 117, पश्चिमः– प्रवेश/सामान्य गलियारा	रचनात्मक	रु. 7,65,000.00 रु. 76,500.00 रु. 10,000.00	रु. 35,26,566.51 तथा उस पर ब्याज एवं प्रभार
	शाखा - दिलशाद गार्डन, एफ-14, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली-110095 ईमेलः ubin0904635@unionbankofindia.bank.in, संपर्कः 9992472020				
3.	श्री अनिल कुमार शर्मा, मकान नंबर बी 1/101, टी-2, तृतीय तल, डीएलएफ कॉलोनी, दिलशाद एक्सटेंशन II, साहिबाबाद, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201005 साथ हीः मकान नंबर-7/122, फर्श बाजार, मेन रोड, शाहदरा, दिल्ली 110032 श्रीमती वंदना शर्मा (सह-कर्जदार) मकान नंबर बी 1/101, टी-2, तृतीय तल, डीएलएफ कॉलोनी, दिलशाद एक्सटेंशन II, साहिबाबाद, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201005 साथ हीः मकान नंबर-7/122, फर्श बाजार, मेन रोड, शाहदरा, दिल्ली 110032	फ्लैट नंबर टी 2, तीसरी मंजिल (छत के अधिकार के साथ), पीछे की तरफ प्लॉट नंबर बी 1/101 डीएलएफ, दिलशाद एक्सटेंशन कक् गांव भोपुरा, तहसील और जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201005, जिसका क्षेत्रफल 37.16 वर्ग मीटर है। सीमाएंः उत्तरः प्लॉट नंबर बी 1/102, दक्षिणः प्लॉट बी 1/100, पूर्वः प्लॉट बी 1/78, पश्चिमः सड़क	भौतिक	रु. 12,96,000.00 रु. 1,29,600.00 रु. 15,000/–	रु. 12,94,660.57 तथा उस पर ब्याज एवं प्रभार
	शाखाः मौर्य एन्क्लेव; सचदेवा पब्लिक स्कूल एफ पी ब्लॉक मौर्य एन्क्लेव पीतमपुरा दिल्ली 110088, ई-मेलः ubin0554294@unionbankofindia.bank.in संपर्कः 9779245944				
4.	1. श्रीमती जसविंदर सिंह, पत्नी अमित सिंह, तीसरी मंज़िल, सम्पत्ति नंबर 55, पॉकेट 16, सेक्टर 22, रोहिणी, दिल्ली 110086; इसके अलावाः डी-430, अवंतिका, सेक्टर 1, रोहिणी, दिल्ली 110085; श्री अमित सिंह, तीसरी मंज़िल, सम्पत्ति नंबर 55, पॉकेट 16, सेक्टर 22, रोहिणी, दिल्ली 110086; इसके अलावाः डी-430, अवंतिका, सेक्टर 1, रोहिणी, दिल्ली 110085; गारंटरः श्री सुरेंद्र कुमार, ए-1745, ए ब्लॉक, जहांगीर पुरी, दिल्ली 110033	श्रीमती जसविंदर सिंह की मालिकाना हक वाली वह आवासीय सम्पत्ति जो तीसरी मंज़िल (छत के अधिकारों के साथ) पर स्थित है - सम्पत्ति नंबर 55, पॉकेट 16, सेक्टर 22, रोहिणी, दिल्ली 110086, जिसका क्षेत्रफल 28 वर्ग मीटर है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः उत्तर में सड़क, दक्षिण में सम्पत्ति नंबर 54, पूर्व में सम्पत्ति नंबर 56 और पश्चिम में सड़क।	रचनात्मक	रु. 30,60,000/– रु. 3,06,000/– रु. 31,000/–	रु. 13,61,133.59 तथा उस पर ब्याज एवं प्रभार

उपरोक्त सम्पत्तियों पर ऋण भार का विवरण, जैसा कि बैंक को ज्ञात है : ज्ञात नहीं

ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 13.10.2026 को 12:00 बजे अप. से 5:00 बजे अप.
बोली जमा करने की अन्तिम तिथि : ई-नीलामी प्रारम्भ होने तक

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया नीचे दिए गए लिंक को देखें या **https://www.unionbankofindia.co.in/auction-property/view-auction-property.aspx** तथा **www.unionbankofindia.co.in** पर संपर्क करें। पंजीकरण और लॉगिन और बोली लगाने के नियमों के लिए **https://baanknet.com** पर जाएं अथवा 8291220220 पर संपर्क करें।

इसे कर्जदार और गारंटर को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के तहत वैधानिक 15 दिनों की बिक्री नोटिस भी माना जाए

तिथि : 16.09.2026, स्थान : नई दिल्ली अधिकृत प्राधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्रारूप सं. यूआरसी.-2

भाग I, अध्याय XXI के अंतर्गत पंजीकरण के संबंध में सूचना देने वाला विज्ञापन
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(b) और कंपनी (पंजीकरण के लिए अधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4(1) के अनुसरण में]

1. एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश-II के समक्ष एक आवेदन किया गया है कि सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) "जेप इजी होम सर्विसेज एलएलपी" को कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI के भाग I के अंतर्गत अंशों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाए।
2. कंपनी के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
भारत में या विदेशों में फर्श की देखभाल/पॉलिशिंग, झाड़-पोंछ, बर्तनों की सफाई और अन्य व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों जैसे सामान्य घरेलू रखरखाव का व्यवसाय संचालित करना।
3. प्रस्तावित कंपनी के ज्ञापन और अंतर-नियम के प्रारूप की एक प्रति का निरीक्षण केबिन नं. 6, प्रथम तल, एच-53, सेक्टर 63, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश- 201301 स्थित कार्यालय में किया जा सकता है।
4. एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि इस आवेदन पर आपत्ति जताने वाला कोई भी व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस (21) दिनों के भीतर अपनी आपत्ति लिखित रूप में रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश-II को भेज सकता है, जिसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए।

आज दिनांक 18 सितंबर 2026
को कृते जेप इजी होम सर्विसेज एलएलपी
हस्ता./–
(**रुचि नौटियाल**)

SBI

स्ट्रेस्ड असेट्स रिकवरी ब्रान्च (एसएआरबी-II) तृतीय एवं चतुर्थ तल, स्टेट बैंक हाउस,
18/4 आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
फोन : 011-28752163, फैक्स : 28755674, ब्रान्च ई-मेल : sbi.51521@sbi.co.in

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफासी ऐक्ट 2002) की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3(1) के अधीन सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कर्जदार :– मैसर्स दिल्ली फैब्रिक क्रिएशन, स्वामी– श्री राजेश मल्होत्रा, ए 202, झूलेलाल अपार्टमेंट्स पीतमपुरा, दिल्ली–110034, ने उनके द्वारा बैंक से प्राप्त की गई ऋण सुविधा के मूलधन और ब्याज के प्रतिभुगतान में चूक की है और उक्त ऋण अनार्जक आस्ति (एनपीए) की श्रेणी में सूचीबद्ध किए जा चुके हैं। उनको वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफासी ऐक्ट 2002) की धारा 13(2) के तहत सूचनाएं उनके अंतिम ज्ञात पते पर भेजी गई थीं, परंतु वे अवितरित के रूप में वापस प्राप्त हुई हैं और इसलिए उनको एतद्द्वारा इस सार्वजनिक सूचना द्वारा सूचना दी जा रही है।

क्र. सं.	कर्जदार/गारंटर का नाम	प्रवर्तित की जाने वाली प्रतिभूत आस्तियों/सम्पत्ति का विस्तृत विवरण	सूचना की तिथि	बकाया राशि (सूचना की तिथि तक)
1.	**मैसर्स दिल्ली फैब्रिक क्रिएशन** स्वामी श्री राजेश मल्होत्रा, ए202, झूलेलाल अपार्टमेंट पीतमपुरा, दिल्ली–110034 **श्री राजेश मल्होत्रा,** ए202, झूलेलाल अपार्टमेंट पीतमपुरा, दिल्ली–110034 **श्रीमती श्वेता मल्होत्रा पत्नी श्री राजेश मल्होत्रा,** ए202, झूलेलाल अपार्टमेंट पीतमपुरा, दिल्ली–110034 **मैसर्स दिल्ली फैब्रिक क्रिएशन** स्वामी– श्री राजेश मल्होत्रा, जीएफ, एलएक्स/1204, सुभाष रोड, गांधी नगर, नई दिल्ली	श्रीमती श्वेता मल्होत्रा पत्नी श्री राजेश मल्होत्रा के नाम पर ए–202, झूलेलाल अपार्टमेंट्स, पीतमपुरा, दिल्ली में आवासीय फ्लैट का न्यायिक बंधक, परिमाप 132.00 वर्ग मीटर, हस्तांतरण विलेख दिनांकित 09–05–2022 के अनुसार, सब–रजिस्ट्रार दिल्ली के कार्यालय में 11–05–2022 को पंजीकृत	08–09–2026 **एनपीए की तिथि** 29–04–2026	रु. 2,23,20,246.00 (रु. दो करोड़ तेईस लाख बीस हजार दो सौ छियालीस मात्र) 08–09–2026 तक + आगे ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागतें।

सूचना प्रदान करने हेतु वैकल्पिक कदम उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त कर्जदार(रों) तथा/अथवा उनके गारंटर(रों) (जब भी लागू है) से एतद्द्वारा बकाया राशि का भुगतान इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की जाती है, जिसमें असफल रहने पर, इस सूचना की तिथि से 60 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत आगे कार्यवाही की जाएगी।

कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

तिथि : 08-09-2026, स्थान : दिल्ली हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित करने के संबंध में समाचार-पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
केंद्रीय सरकार के समक्ष
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र,
नई दिल्ली

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (क) के मामले में
तथा
लाइवरैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Liveramp India Private Limited), जिसका पंजीकृत कार्यालय 90/31-B, F/F, मालवीय नगर एक्सटेंशन, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली, भारत-110017 पर स्थित है, के मामले में
याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत कंपनी के संगम ज्ञापन में परिवर्तन की पुष्टि प्राप्त करने हेतु केंद्रीय सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है ताकि दिनांक 15 सितंबर, 2026 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को 'दिल्ली राज्य' से 'तेलंगाना राज्य' में स्थानांतरित कर सके।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से जिस किसी व्यक्ति के हित प्रभावित होने की संभावना हो, वह इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के भीतर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करके अथवा अपने हित की प्रकृति और विरोध के आधारों का उल्लेख करने वाले शपथपत्र से समर्थित अपनी आपत्तियां क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली, दिल्ली को उनके पते बी-2 विंग, द्वितीय तल, प. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पर स्वयं जमा कराकर या पंजीकृत डाक से भेजकर प्रस्तुत कर सकता है तथा उसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को नीचे उल्लिखित उसके पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजनी होगी:

पंजीकृत कार्यालय:
90/31-B, F/F, मालवीय नगर एक्सटेंशन, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली, भारत-110017
लाइवरैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से एवं उसके लिए

अल्पना गुप्ता
(निदेशक)
DIN-01007395
पता: के-99, भूतल, हौज खास एन्क्लेव, दक्षिण नई दिल्ली-110016

रवि आहूजा
(निदेशक)
DIN-07314850
पता: 3-5-141/3/A/1, फ्लैट नं. 303, सुरभि अपार्टमेंट्स, रामकोटी, नामपल्ली, हैदराबाद, तेलंगाना-500001

दिनांक: 19.09.2026 **स्थान: नई दिल्ली**

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

करोल बाग (0367)
ईमेल: cb0367@canarabank.com, मो: 9650080367

लॉकर खोलने हेतु सार्वजनिक सूचना

यह सभी संबंधित व्यक्तियों और सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के तहत नामित व्यक्ति/यों ने केनरा बैंक (ई–सिंडिकेट बैंक की शाखाओं सहित) की नीचे वर्णित शाखाओं में सुरक्षित जमा लॉकर की सुविधा का लाभ उठाया है। संबंधित शाखाओं ने पहले ही हमारे बैंक रिकॉर्ड के अनुसार नवीनतम पते पर लॉकर किरायेदारों/एलओए को पंजीकृत डाक द्वारा व्यक्तिगत पत्र/सूचनाएं भेजी हैं, जिनमें लॉकर किराए की बकाया राशि चुकाने का अनुरोध किया गया है। इन सूचनाओं के बावजूद, लॉकर किरायेदारों/एलओए ने शाखा से संपर्क नहीं किया है न ही लॉकर के किराए की बकाया राशि जमा की है।

नीचे नामित लॉकर धारकों और उनके कानूनी वारिसों से अनुरोध किया जाता है कि इसे अंतिम सूचना के रूप में मानें और संबंधित दस्तावेजों के साथ संपर्क करें और इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 30 दिनों के भीतर लॉकर के किराए की बकाया राशि का भुगतान करें, अन्यथा बैंक लॉकर को बिना किसी अन्य सूचना या सूचना के खोलेगा, जिसके लिए पूरा खर्च और जोखिम धारकों या उनके कानूनी प्रतिनिधियों/वारिसों का होगा।

क्र. सं.	शाखा का नाम/संपर्क नंबर	लॉकर नंबर	बकाया लॉकर किराया	लॉकर किराएदार का नाम एवं पता
1	करोल बाग 9650080367	570 (123007120776)	₹ 15507.80	**श्री/श्रीमती आर. जवाहर लाल,** 25, एच, सेक्टर IV डीआईजेड एरिया, गोल डाकखाना नई दिल्ली – 110001
2	करोल बाग 9650080367	247 (123007137415)	₹ 17710/-	**श्री/श्रीमती अजय जिंदल,** 6121, गली नं. 7, ब्लॉक I, देव नगर नई दिल्ली – 110005
3	करोल बाग 9650080367	72 (123007117570)	₹ 17110/-	**श्री/श्रीमती मृदुला चड्ढा** 4/57, डब्ल्यूईए, करोल बाग नई दिल्ली – 110005
4	करोल बाग 9650080367	708 (123007118503)	₹ 58234/-	**श्री/श्रीमती नरेपेंद्र ग्रेवाल** के–55, कनॉट सर्कस नई दिल्ली – 110001
5	करोल बाग 9650080367	403 (123007115238)	₹ 17258/-	**श्री/श्रीमती निर्मल शंकर** 30/3981, रेगरपुरा करोल बाग नई दिल्ली – 110005
6	करोल बाग 9650080367	215 (90026010000636)	₹ 15887.24/-	**श्री/श्रीमती पूनम खोरवाल** 7/6329, पद्मा सिंह रोड देव नगर, करोल बाग नई दिल्ली–110005
7	करोल बाग 9650080367	327 (90026010001266)	₹ 19147.18/-	**श्री/श्रीमती जसविंदर सिंह** 19/43, तिलक नगर नई दिल्ली – 110018
8	करोल बाग 9650080367	44 (90026010000211)	₹ 17110/-	**श्री/श्रीमती मोहन लाल असुदानी** 12/66, ब्लॉक J–12 राजौरी गार्डन दिल्ली – 110027

दिनांक : 18.09.2026 प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

---

pnb पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
.......भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, पूर्वी दिल्ली,
पॉकेट-ई, मयूर विहार फेज-II, दिल्ली-110091,
ई-मेल : cs8075@pnb.co.in,
दूरभाष : 011-22779758, 22785289

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति क्रेडिटर के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया था, की बिक्री सम्बद्ध कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) से बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के बकायों की वसूली हेतु नीचे तालिका में वर्णित तिथियों पर **"जहाँ है वहाँ है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है"** आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि नीचे तालिका में सम्बन्धित सम्पत्तियों के सम्मुख उल्लिखित के अनुसार होगी।

प्रतिभूत आस्तियों की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम खाते का नाम कर्जदार/जमानती खाता का पता एवं नाम	(A) सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना की तिथि (B) मांग सूचना के अनुसार राशि (C) सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा करने की तिथि (D) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	अचल सम्पत्तियों का विवरण बंधककर्ता/स्वामी का नाम [सम्पत्ति(यों) के बंधककर्ता]	आरक्षित मूल्य ईएमडी (ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि) संविदा वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	प्रतिभूति क्रेडिटर के संज्ञान में ऋणभारों का विवरण अधिकृत प्राधिकारी का नाम एवं सम्पर्क नं.
1.	शा.का. एआरएमबी ईस्ट दिल्ली (807500) **खाता - मंजू गुप्ता, पायल गुप्ता, सुलोचना गुप्ता और राजेश गुप्ता** **सुश्री मंजू गुप्ता,** डी-142, ब्लॉक-डी, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर 12टीएचए, रामप्रस्थ, गाज़ियाबाद उ.प्र.-201011 **सुश्री पायल गुप्ता,** डी-142, ब्लॉक-डी, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर 12टीएचए, रामप्रस्थ, गाज़ियाबाद उ.प्र.-201011 **श्री रोहित गुप्ता (गारंटर)** डी-142, ब्लॉक-डी, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर 12टीएचए, रामप्रस्थ, गाज़ियाबाद उ.प्र.-201011 श्री राजेश गुप्ता, डी-142, ब्लॉक-डी, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर 12टीएचए, रामप्रस्थ, गाज़ियाबाद उ.प्र.-201011 **श्री नरेंद्र गुप्ता (गारंटर)** डी-142, ब्लॉक-डी, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर 12टीएचए, रामप्रस्थ, गाज़ियाबाद उ.प्र.-201011 श्रीमती सुलोचना गुप्ता (अब दिवंगत) **कानूनी प्रतिनिधि/वारिस 1) श्री नरेंद्र गुप्ता (पति) पुत्र स्वर्गीय श्री जोहरीमल गुप्ता,** निवासी डी-142, ब्लॉक-डी, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर 12 टीएचए, रामप्रस्थ, गाज़ियाबाद उ.प्र.-201011 2) **श्री रोहित गुप्ता (पुत्र) पुत्र नरेंद्र गुप्ता,** निवासी डी-142, ब्लॉक-डी, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर 12 टीएचए, रामप्रस्थ, गाज़ियाबाद उ.प्र.-201011 3) **श्री राजेश गुप्ता (पुत्र) पुत्र नरेंद्र गुप्ता,** दुकान नंबर 305-306, तेलीवाड़ा, शाहदरा, दिल्ली-110032	16.12.2019 रु. 28.12 लाख + भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान तक व्यय 18.02.2020 सांकेतिक	आवासीय सम्पत्ति डी-142, ब्लॉक-डी, ग्राउंड फ्लोर (बिना छत के अधिकार के), सेक्टर 12, रामप्रस्था, गाज़ियाबाद, उ.प्र.-201011; इसका कवर्ड एरिया 136.90 वर्ग मीटर है और यह सुश्री मंजू गुप्ता, सुश्री पायल गुप्ता और सुश्री सुलोचना गुप्ता के नाम पर है।	रु. 147.84 लाख रु. 14.784 लाख (27.10.2026) रु. 25000/–	27.10.2026 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	ज्ञात नहीं श्री सुभाष चन्द्र जाटव (मो. नं. 9121866087) प्राधिकृत अधिकारी एआरएमबी पूर्वी दिल्ली

ई-नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्तें :

बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियम एवं शर्तों तथा आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी : 1. सम्पत्तियों की बिक्री "जहाँ है जैसे है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर की जा रही है। 2. यहाँ ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत आस्तियों के विवरण अधिकृत प्राधिकारी की सर्वोत्तम सूचना के आधार पर बताये गये हैं, किन्तु अधिकृत प्राधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलतबयानी अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 3. बिक्री वेबसाइट https://baanknet.com पर प्रावधानित ई-नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से नीलानी की उपर्युक्त तिथि एवं समय तक होगी। 4. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया **https://baanknet.com** तथा **www.pnbindia.in** देखें। **5. सभी वैधानिक बकाया/परिचर प्रभार/पंजीकरण शुल्क, स्टांप शुल्क, कर आदि सहित अन्य बकाया क्रेता को वहन करना होगा और प्राधिकृत कार्यालय या बैंक किसी भी शुल्क, भार में ग्रहणाधिकार या सरकार या किसी अन्य को संपत्ति (ई-नीलामी) के संबंध में किसी अन्य बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जो बैंक को ज्ञात नहीं है, इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वह वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर के बकाया, बिजली के बकाया आदि सहित संपत्ति पर भार के बारे में स्वतंत्र जांच करें।**

सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत सांविधिक बिक्री सूचना

दिनांक : 18.09.2026, स्थान : नई दिल्ली **अधिकृत प्राधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक**